चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
CH. CHARAN SINGH UNIVERSITY, MEERUT

कुलाधिपति

CHANCELLOR

राज भवन
लखनऊ
RAJ BHAVAN
LUCKNOW

संख्याःई0स0- 1151 /जी0एस0 दिनांक 11 / 8 / 2006

आदेश

शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, सहारनपुर को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी0एड0 पाठ्यक्रम में 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता के साथ उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम-1973 की धारा-37(2) के "परन्तुक" के अधीन दिनांक 1-7-2004 से एक वर्ष की अवधि हेतु सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की गयी थी। महाविद्यालय को कतिपय कमियों के कारण शिक्षण सत्र 2005-06 हेतु आदेश संख्याः ई0स0- 2952 / जी0एस0 दिनांक 20-12-2005 के द्वारा सम्बद्धता प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-4607/70-2-2004-3(19)/2004 दिनांक 4-1-2005 के कम में मण्डलायुक्त, मेरठ मण्डल द्वारा संस्था की जॉच करायी गयी। जॉच के समग्र संस्था में पायी गयी कमियों/अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा उक्त संस्था की सम्बद्धता उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 की धारा-37(9) के अन्तर्गत् समाप्त किये जाने का प्रस्ताव प्रेषित किया गया। संस्था एवं विश्वविद्यालय से आख्या प्राप्त की गयी।

संस्था द्वारा प्रेषित आख्या एवं विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित की गयी नवीनतम् आख्या दिनांक 30-06-2006 को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त आदेश संख्याः ई. स0-2952/जी.एस. दिनांक 20-12-2005 जिसके द्वारा शिक्षण सत्र 2005-06 हेतु सम्बद्धता का औचित्य नहीं पाया गया था, को निरस्त किया जाता है तथा उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,1973 की धारा-37(2) के अधीन शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, सहारनपुर को स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के बी0एड0 पाठ्यक्रम में शिक्षण सत्र 2005-06 (दिनांक 1-7-2005) से 100 छात्रों की प्रवेश क्षमता सहित सम्बद्धता की स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा संस्था/विश्वविद्यालय को निर्देश दिया जाता है कि भविष्य में उनके द्वारा आरक्षण नियमों का विधिवत् पालन किया जायेगा तथा सम्बद्धता हेतु निर्धारित समस्त शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं निरन्तरता सुनिश्चित की जायेगी अन्यथा संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।

ह0
(टी0 वी0 राजेस्वर)
कुलाधिपति

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- कुलपति, चौ0 चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
2- सचिव, उ0प्र0शासन,उच्च शिक्षा विभाग, लखनऊ।
3- क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, 46-ए, शान्तिपथ तिलकनगर, जयपुर।
4- प्रबन्धक/प्राचार्य, शिवालिक इंस्टीट्यूट ऑफ एजूकेशन, सहारनपुर।

(लव वर्मा)